न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : श्री हरिताभ कुमार आदित्य RAS
मुकदमा नं0 : 159/19
प्रकरण दर्ज दिनांक : 12.12.2019
प्रकरण निस्तारण दिनांक : 17.01.2020

टून्याराम पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी नामनेर तहसील सिकराय जिला दौसा
– वादी

–:बनाम:–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय
– प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती

निर्णय

दिनांक : 17.01.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। दावे के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नामनेर में स्थित खेवट खतोनी खाता संख्या नया 98 खाता संख्या पुराना 26 जिसके खसरा नं0 88 रकबा 0.4900 है0 आराजी ख0नं0 139 रकबा 1.2300 है0, आराजी खसरा नं0 175 रकबा 0.6300 है0, आराजी खसरा नं0 177 रकबा 0.1300 है0, आराजी खसरा नं0 187 रकबा 0.1200 है0, आराजी खसरा नं0 188 रकबा 0.2300 है0, आराजी खसरा नं0 259 रकबा 0.0400 है0, आराजी खसरा नं0 264 रकबा 0.1800 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.0500 है0 जिसमें वादी/प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है वादी के पिता रामफूल पुत्र सुखदेव की मृत्यु हुई तब वादी के पिता रामफूल की विरासत का नामांतकरण वादी के भाईयों व वादी के नाम खुला तब सहवन गलती से वादी का नाम छुट्टन पुत्र रामफूल के नाम दर्ज हो गया जबकि वादी का वास्तविक नाम टून्याराम है। क्यों कि वादी को गांव में दो नामों से जाना जाता था, टून्याराम तथा छुट्टन नाम से, इसलिये वादी का राजस्व रिकॉर्ड में गलती से नाम छुट्टन हो गया। वादी का सरकारी रिकॉर्ड में आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र आदि समस्त सरकारी दस्तावेजों में वादी का सही नाम टून्याराम पुत्र रामफूल मीना है। टून्याराम व छुट्टन एक ही व्यक्ति है जिसको दो नामों से जाना जाता है। जो सहवन से जमाबंदी में विरासत का नामांतकरण खोला जब वादी का नाम छुट्टन अंकित हो गया। वादी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहा है जिससे वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायहित में उक्त जमाबंदी में वादी का नाम छुट्टन पुत्र रामफूल के स्थान पर टून्याराम पुत्र रामफूल दर्ज किया जाना आवश्यक है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी की गई। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। पत्रावली कायमी तनकी में निहित की गई। कायमी तनकी कायम कर विवेचित की गई। पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी पी. डब्लू 1 टून्याराम, पीडब्लू 2 मसरू द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया। वकील वादी और साक्ष्य पेश नही करने के कारण पत्रावली साक्ष्यवादी बंद कर बहस में नियत की गई।

वकीलवादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र एवं बयानात के आधार पर छुट्टन पुत्र रामफूल के स्थान पर टून्याराम पुत्र रामफूल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी स्वीकार कर डिकी किया जाता है कि ग्राम नामनेर में स्थित विवादित भूमि खाता संख्या नया 98 खाता संख्या पुराना 26 जिसके खसरा नं0 88 रकबा 0.4900 है0 आराजी ख0नं0 139 रकबा 1.2300 है0, आराजी खसरा नं0 175 रकबा 0.6300 है0, आराजी खसरा नं0 177 रकबा 0.1300 है0, आराजी खसरा नं0 187 रकबा 0.1200 है0, आराजी खसरा नं0 188 रकबा 0.2300 है0, आराजी खसरा नं0 259 रकबा 0.0400 है0, आराजी खसरा नं0 264 रकबा 0.1800 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.0500 है0 में वादी का नाम छुट्टन पुत्र रामफूल के स्थान पर टून्याराम पुत्र रामफूल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है। तहसीलदार सिकराय को तहरीर जारी हो तद्नानुसार डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आदिनांक 17.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/1/2020

(हरिताभ कुमार आदित्य)
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर 3 फोन : 312402

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सिकराय

व इजलास श्री हरिताभ कुमार आदित्य R.A.S.

टून्याराम पुत्र रामफूल जाति मीना बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय
निवासी नामनेर –वादी दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती –प्रतिवादी

मुकदमा नं. 159 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गोविन्द शर्मा एडवोकेट वादी

व हाजिरी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि ग्राम नामनेर मे स्थित विवादित भूमि खाता संख्या नया 98 पुराना 26 जिसके ख.नं. 88 रकबा 0.4900 है., ख.नं. 139 रकबा 1.2300 है., ख.नं. 175 रकबा 0.6300 है., ख.नं. 171 रकबा 0.1300 है., आराजी खसरा नं. 187 रकबा 0.1200 है., आराजी ख.नं. 188 रकबा 0.2300 है., ख.नं. 259 रकबा 0.0400 है., ख.नं. 264 रकबा 0.1800 है. कुल किता 8 कुल रकबा 3.0500 है.

निज मुबलिग बाबत

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी ......ना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/01/2020 माह सन् को

दस्तखत (हस्ताक्षर) 17/1/2020
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा सिकराय जिला–दौसा

मुहर (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिकराय जिला–दौसा (राज.))

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प ...ह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner